NT>

Title: Demand to include Gond community of Bihar in the Scheduled Tribe List.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, विगत 24 तारीख को बिहार के गौड़ जाति के लोगों ने छपरा के दाउदपुर में 21वां महाधिवेशन किया था। काफी लम्बे अरसे से गौड़ जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में अपने को शामिल कराने के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। केन्द्र सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया है। बिहार में भी उनको पहले से सुविधा मिल रही थी, लेकिन बीच के दिनों में बिहार सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति से हटा कर अति पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया जिसके चलते वे लोग बरसों से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सत्र खुलता है तो वे लोग संसद के दरवाजे-दरवाजे घूम कर अपनी मांग सदन के समक्ष रखने का आग्रह करते हैं।

इस बारे में कई कमीशन बन चुके हैं। सबसे पहले काका कालेलकर कमीशन बना था जिसने अपनी अनुशंसा दी थी कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इधर, केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार से कई पत्राचार किए हैं और अब बिहार सरकार ने सहमति दे दी है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार में यह मामला अभी लंबित है। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी जो अनुशंसा भेज दी है, उसके अनुरूप बिल लाकर बिहार के गौड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कट करें।

साथ ही हम बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी की तुमाखेड़ी की वजह से वे लोग परेशानी में हैं। गोन्द और गौड़ जाति का विवाद चल रहा है। गोन्द में अंत में एन और डी होगा। वे अनुसूचित जनजाति में शामिल होंगे जबकि आज बिहार में गोन्द और गौड़ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस बिल को लोक सभा के इसी सत्र में लाए और बिहार के गौड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बिल यहां से पास करवाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार में आपकी क्या वैल्यू है, सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यदि हम लोगों की वैल्यू नहीं है तो समझिए कि सरकार अब खत्म होने वाली है।â€¦ (व्यवधान)